न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:— डॉ0 साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—32 / 2022

जीसीएमएस संख्या:— 2022 / 61

बाबूसिंह पुत्र स्व0 टिल्लू उम्र करीब 67 साल जाति कोली निवासी ग्राम समौला तहसील व जिला धौलपुर।

....................वादी

बनाम

1. धर्मवीरसिंह
2. रविप्रकाश
3. वीरेन्द्र सिंह
   पुत्रगण प्यारेलाल जातिगण जाटव निवासीगण गाम समौला तहसील व जिला धौलपुर हाल आबाद ग्राम नगला भगत तहसील व जिला धौलपुर
4. हरिप्यारी पत्नी प्यारेलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समौला तह. व जिला धौलपुर।
5. रज्जोदेवी पुत्री प्यारेलाल
6. सुनीतादेवी पुत्री प्यारेलाल
7. सरोज देवी पुत्री प्यारेलाल
   जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम समौला तहसील व जिला धौलपुर हाल आबाद ग्राम नगला भगत तहसील व जिला धौलपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्डहोल्डर

दावा वास्ते बटवारा काश्त, एवं स्थायी निषेधाज्ञा हस्व दफा 53, 188 आरटी एक्ट

उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 22.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 18.04.2022 को एक राजस्व वाद बाबत् दावा वास्ते बटवारा काश्त, एवं स्थायी निषेधाज्ञा हस्व दफा 53, 188 आरटी एक्ट न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 03.03.2025 को प्रारंम्भिक रूप से डिकी किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 515 दिनांक 11.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील वादी को सुना गया, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

उसके अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर स्थिति ग्राम समौला पटवार हल्का तगावली तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नबंर	रकबा
1	बाबूसिंह पुत्र टिल्लू जाति कोली सा.देह खातेदार	213 234 / 1	0.5437 0.1391
2	धर्मवीर सिंह ,रविप्रकाश, वीरेन्द्र सिंह पुत्रान व रज्जोदेवी, सुनीता देवी, सरोज देवी, पुत्रीयान पि0 प्यारेलाल, हरिप्यारी पत्नी प्यारेलाल हि.व. जातिगण जाटव सा. नगला भगत खातेदार	234 / 2	0.2276

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एवं लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो हस्व जाप्ता दाखित दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)